

04-8-2021

पार्श्व से कर्षित उपस्थित। पेशेकार सरकार
उपस्थित। वहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा
पुर्णना पत्र में अंकित तथ्यों की दृष्टिगत रखते
हुए पार्श्व व पुर्णना पत्र अंतर्गत धारा 5 बाबत
मिचल अधिनियम को स्वीकार किया जाकर
कीर्तिलार्थी द्वारा उपंतहसीलदार डालकी से
निर्णय दिनांक 20-10-2020 के विरुद्ध अपील
पेक्षा करने में हुए विलम्ब की शिकायत को फुलने
किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रवली
के मल सुधार हेतु नवंबर से शुरू है। d

4.8.21

वति. निवा. कलकत्ता

विरोधी (पत्र !)

